कार्यालय जिला नगर आयुक्त, महेन्द्रगढ स्थित नारनौल

D+ 06/05/25

सार्वजनिक सूचना

लाल डोरा/आबादीदेह शहरी क्षेत्र, जिला महेन्द्रगढ के सम्पत्ति प्रमाण पत्र बारे

इस नोटिस/इश्तिहार के माध्यम से सभी आम व खास को सूचित किया जाता है कि संपतिकर सर्वे के दौरान दर्ज प्रविष्टियों व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पत्र क्रमांक DULB/DMC-HQ-2024/142 दिनांक 12.03.2024 व पत्र क्रमांक DULB/CTP-11/2024/134 दिनांक 11.07.2024 द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला महेन्द्रगढ़ की सभी परिषद/पालिकाओं क्रमशः नारनौल, महेन्द्रगढ़, अटेली मण्डी, नांगल चौधरी, कनीना द्वारा लाल डोरे /आबादीदेह में स्थित संपत्तियों का संपति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है जिसकी एक सूची सम्बन्धित नगर परिषद/पालिकाओं की गृहकर / सम्पत्तिकर शाखा में व एक सूची सम्बन्धित नगर परिषद/पालिकाओं के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है जिसे कोई भी आमजन नगर परिषद/पालिकाओं कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर उपस्थित होकर सूची का अवलोकन कर सकता है. साथ में ही यह सूची सम्बन्धित परिषद/पालिकाओं की वेबसाइट https://ulbharyana.gov.in/Narnaul/569, https://ulbharyana.gov.in/Mohindergarh/841#myCarousel, https://ulbharyana.gov.in/AteliMandi/2865 https://ulbharyana.gov.in/NangalChaudhary/844, https://ulbharyana.gov.in/Kanina/842 पर भी उपलब्ध है। जिस किसी आमजन को प्रकाशित सूची पर किसी प्रकार का एतराज या आपत्ति है तो वह अपने दस्तावेजों सहित प्रकाशन तिथि के 15 दिन के अन्दर अन्दर अपना एतराज/आपत्ति लिखित में दस्तावेजों सहित सम्बन्धित परिषद/पालिकाओं की गृहकर / सम्पत्तिकर शाखा में सुनवाई हेतु जमा करवा सकता है। नोटिस की समयावधि समाप्त होने उपरान्त किसी भी एतराज/आपत्ति पर कोई कार्यवाही अमल में नही लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी सम्पत्ति पर कोई दावा/आपत्ति ना आने की एवज में जारी की गई सम्पत्ति प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में सम्बन्धित परिषद / पालिकाओं की कोई जिम्मेवारी ना होगी।

सम्पत्ति के स्वामित्व को सिद्ध करने हेतु शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला द्वारा जारी पत्र क्रमांक DULB.DMC-HQ/2024/142 दिनांक 12.03.2024 में दिए गए निर्देशानुसार आपको निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगेः-

- राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित दावेदार का शपथ पत्र, जिसमें आबादी देह/लाल डोरा में स्वामित्व / कब्जा का स्पष्ट उल्लेख होः-

1. पिछले 10 वर्षों का बिजली बिल ।
2. पिछले 10 वर्षों का पाली का बिल।
3. कोई भी सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज जैसे ईपीआईसी, ड्राईविंग लाईसैन्स, पासपोर्ट, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण-पत्र आदि जिसमें पता शामिल हो।

- अधिकार के पिछले 10 वर्षों का पता लगाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. पिछले 10 वर्षों के अधिकार का पता लगाने के लिए आवश्यक दस्तावेज ।
2. पिछले 10 वर्षों के अधिकार का पता लगाने के लिए निर्मित संरचना का प्रमाण-पत्र ।

- दावाकर्ता द्वारा प्रदान किए जाने वाले दस्तावेजों की वांछनीय सूची निम्नलिखित हैः-

1. विक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख।
2. हस्तांतरण विलेख/ त्याग विलेख / मुक्ति विलेख/जमाबन्दी फरद।
3. राजस्व अधिकारी के साथ पंजीकृत अदालत का आदेश।
4. रजिस्ट्री/बिक्री विलेख।

नोटः- मूल मालिक की मृत्यु में उपयुक्त उल्लेखित दस्तावेज़ों के साथ-साथ सक्षम राजस्व प्राधिकरण / सिविल अदालत से जारी कानूनी/सिविल अदालत से जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जरूरी है।
सूचित रहें।

- हस्ता०-
जिला नगर आयुक्त,
महेन्द्रगढ स्थित नारनौल

1078/11/678/2026/34466/C/10/6

रियाणा सरकार